अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद निराकरण अपील वाद संख्या-181/2012

दयानन्द ठाकुर ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

ललन कुमार ठाकुर एवं अन्य .....विपक्षीगण

आदेश

26.07.2014

यह अपीलवाद, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, सहरसा के वाद संख्या 168/2011 दिनांक 07.04.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। यह वाद विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या-727 पुराना, खेसरा संख्या-7081 नया, रकवा कुल-03 (तीन) कट्ठा, जो संयुक्त परिवार के रूप में दिनांक 30.03.1974 को क्रय किया गया था, के संदर्भ में लाया गया है। इस वाद के अपीलार्थी 03 (तीन) भाई है, जिनका नाम-श्री दयानन्द ठाकुर, श्री रामानन्द ठाकुर एवं स्व प्रभुनारायण ठाकुर है। जिनके पिता का नाम स्व0 कुलानन्द ठाकुर साकिन-चैनपुर, थाना-बनगाँव, जिला-सहरसा है। इसमें से स्व0 प्रभुनारायण ठाकुर का निधन हो जाने के पश्चात् उनके छोटे पुत्र श्री ललन कुमार ठाकुर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में वाद लाया था, जिस पर दिनांक 07.04.2012 को आदेश पारित हुआ था एवं इस न्यायालय में दिनांक 28.05.2012 को विलम्ब से अपीलवाद दायर किया गया। इसके लिए समयक्षांति के लिए आवेदन भी प्राप्त है। श्री दयानन्द ठाकुर अपीलार्थी जो संयुक्त परिवार के कर्त्ता पुत्र रहे है तथा वायु सेना में कार्यरत भी रहे है, के द्वारा बताया गया कि वे अपने पुत्र के इलाज AIMS, दिल्ली अस्पताल में कराने के लिए गये थे इसलिए अपीलवाद दायर करने में विलम्ब हुआ। जिसे उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सूनने के बाद विलम्ब क्षांत किया गया।

विवादग्रस्त जमीन संयुक्त परिवार के हैसियत से दिनांक 30.03.1974 को क्रय किया गया था। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनेक तिथियों में अपीलार्थी अपने कारणपृच्छा दायर नहीं किये थे तथा प्रश्नगत जमीन में अपना घर-मकान बनाने की सूचना दिये है तथा बताये है कि जब वे वायु सेना में कार्यरत थे तो उनके परिवार 1974 से ही उक्त भूमि के मकान में रहते आये है और वे अपने परिवार से अलग हो गये है। निम्न न्यायालय में उन्होंने जो अपना प्रत्युत्तर दिया है, उसमें कोई अन्य भूमि का चर्चा उन्होंने नहीं किया है लेकिन अपील दायर करते समय जो चर्चा किये

है, उसमें खाता संख्या-730, खेसरा संख्या-3316 भूमि जमीन का जिक्र किया है, जो केवाला द्वारा दिनांक 28.06.1972 को क्रय किया गया है, स्पष्टतः यह विवादग्रस्त भूमि नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी श्री ललन कुमार ठाकुर द्वारा एक आवेदन दिनांक 30.01.2012 को दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किये है कि श्री दयानन्द ठाकुर का यह कथन कि प्रश्नगत जमीन पर उनका घर-दरवाजा है, यह बिल्कुल गलत है। वस्तुतः यह जमीन पूर्णतया खाली है, इस पर भूमि विवाद निराकरण नियमावली, 2010 के अनुसार नियम 15 (ii) के तहत स्थल जाँच हेतु अनुरोध किये थे, जिसका उल्लेख निम्न न्यायालय के अभिलेख में भी हुआ है परन्तु आदेश पारित करते समय इस पर ध्यान नहीं रखा गया है। वस्तुतः तीनों भाईयों का हिस्सा एक-एक कट्ठा बनता है। अतः भूमि का सीमांकण भी कराकर हिस्सा निर्धारित करा देना आवश्यक है। चूँकि श्री ललन कुमार ठाकुर के पिता इनके अवयस्क रहने की स्थिति में ही स्वर्गवास कर गये थे तथा स्वयं बी0 पी0 एल0 परिवार के अधीन है, जो कमजोर वर्ग होने का प्रतीक है तथा विपक्षी को दबंग बताते हुए स्थल जाँच का अनुरोध किये है, इस पर निम्न न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था। उक्त स्थिति में निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त जमीन का स्थल सत्यापन एवं आवश्यकतानुसार सीमांकण कराते हुए उचित आदेश पारित करेगें ताकि तीनों भाईयों के बीच हमेशा के लिए विवाद समाप्त किया जा सके। उक्त आदेश के साथ अपीलवाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

6.7.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

6.7.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।